कार्यालय नगर परिषद बाड़मेर (राज.)

क्रमांक :एफ–07 / राजस्व / 2026 / 8375 दिनांक: 04/11/2026

:: सार्वजनिक ई–नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाड़मेर शहर के पालिका बाजार में प्रथम पल पर स्थित नगर परिषद बाडमेर द्वारा निर्मित व्यवसायिक निम्न दुकानों की उनके सामने अंकित तिथि को ऑनलाईन माध्यम से निलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं संशोधित नियम 2019 के अनुसार 99 वर्ष की लीज होल्ड के आधार पर की जायेगी। इच्छुक आवेदक क्रय कर लाभ उठावें। उक्त बेचान पर राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के समस्त व समय–समय पर जारी परिपत्र लागू रहेगें।

क्र. स.	दुकान संख्या	दुकान साईज प्रति दुकान साईट प्लान अनुसार	बोली प्रारम्भ राशि	व्यवसायिक आरक्षित दर	निलामी / धरोहर राशि भाग लेने हेतु जमा करने की तिथि	ऑनलाईन निलामी तिथि	धरोहर राशि
1	Shop No.F-13	19'1"X13'1" sq feet = 249.56 Sq.ft.	26,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर	06/11/2026 09:00AM To 25/11/2026 06:00PM	08/11/2026 09:00 AM To 27/11/2026 06:00PM	52,000/-
2	Shop No.F-14	17"'X13'1" sq feet = 232.17 Sq.ft.	21,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			42,000/-
3	Shop No.F-18	19'4"X19'6" sq feet = 376.93 Sq.ft.	36,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			72,000/-
4	Shop No.F-21	18'10"X19'6" sq feet = 367.18 Sq.ft.	33,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			66,000/-
5	Shop No.F-23	19'2"X13'6" sq feet = 258.66 Sq.ft.	23,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			46,000/-
6	Shop No.F-28	19'0"X13'6" sq feet = 256.50 Sq.ft.	23,00,000/-	924[illegible] / –रुपये प्रति वर्गमीटर			46,000/-
7	Shop No.F-33	(24'0"x21'0") +(8'0"x29'0") sq feet = 736.00 Sq.ft.	64,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			1,28,000/-
8	Shop No.F-35	(19'4"x20'6") +(19'4"x16'10") sq feet = 721.58 Sq.ft.	63,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			1,26,000/-
9	Shop No.F-36	(20'0"X20'9"+19'9"/2) +(20'0"x16'10"+17'10" /2) sq feet = 751.60 Sq.ft.	65,00,000/-	92400 / –रुपये प्रति वर्गमीटर			1,30,000/-

निलामी में भाग लेने के लिए निम्न शर्ते जो निम्नानुसार है :–

1. नगर परिषद् बाड़मेर को नीलामी में प्राप्त बोलीया स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. नगर परिषद बाडमेर को निलामी सूचना में संशोधन करने एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. निविदा में भाग लेने हेतु प्रति दुकान शुल्क 2000 / – रुपये जमा करवाना अनिवार्य होगा जो नॉन रिफेन्डेबल होगा।
4. नगर परिषद् बाड़मेर को नीलामी की पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बोली की अतिंम तिथि बढाने या निलामी अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी बाली स्वीकार नहीं होने पर धरोहर राशि LSG-E Auction पोर्टल से बोलीदाता के खाते में नीलमी की समस्त प्रकिया समाप्त होने के बाद स्वंतः जमा हो जायेगी।
6. नीलामी बोली स्वीकार होने के पश्चात् बोलीदाता नीलामी तिथि से 15 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा करवाने पर 01 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

7. नीलामी में अर्जित दुकान पर नियमानुसार पहले तीन वर्ष तक लीज राशि 2.5 प्रतिशत व बाद में 05 प्रतिशत पर लीज राशि प्रतिवर्ष देय होगी एवं प्रत्येक 15 वर्षो में 25 प्रतिशत लीज मूल्य पर जो राशि संसोधित होगी वह सकल की जावेगी।
8. दुकानों की निलामी में केवल राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति के बालिग व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। प्रतिभागी को जाति प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन संलग्न कर SSO ID में अनुसूचित जाति वर्ग वाले प्रतिभागी भाग ले सकेगें।
9. नीलामी में दुकानों की छत पर परिषद का पूर्ण अधिकार होगा/रहेगा।
10. नीलामी में अर्जित दुकानों की रजिस्ट्री केता द्वारा स्वयं के व्यय से की जानी होगी।
11. ज्वलनशील पदार्थ, धुआं करने वाले पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, गैसीय पदार्थ एवं नशीला पदार्थ की दुकान होने पर अनुज्ञा पर बिना कारण बताए स्वतः निरस्त क दिया जावेगा।
12. दुकानों पर नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय भूमि निस्पादन नियम 1974 एवं संसोधित नियम 2019 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशो/ परिपत्र स्वतः ही लागु होगे।
13. दूकानो में किसी भी प्रकार का रद्दो बदल नगर परिषद् की बिना अनुमति नहीं किया जायेगा।
14. नीलामी स्वीकार होने की स्थिति में निलामी स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार डिमांड नॉटिस जारी करने के पश्चात नीलामी की राशि जमा करवानी होगी–
    1. 3 दिवस 25 प्रतिशत 2. 30 दिवस 75 प्रतिशत
12. यदि बोलीदाता 30 दिवस पश्चात राशि जमा करवाने में विफल रहता है। तो उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात नियमानुसार ब्याज सहित अगले 90 दिनों तक देय राशि जमा करवा सकता है। इसके पश्चात् भी यदि राशि जमा कराने में असफल रहने की स्थिति में बोली स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. ई–ऑक्शन से सम्बधित किसी भी तरह के वाद–विवाद के लिए न्यायलय क्षेत्र बाड़मेंर रहेगा।
14. नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता वेबसाईट LSG E-AUCTION PORTAL (rajasthan.gov.in) & Barmer E-Auction List के लिए दिये गये Link https://lsgeauction.rajasthan.gov.in/Portal/AuctionListIndex# पर जाकर Log in ऑप्शन पर क्लिक करके स्वयं की SSO ID बना लेवें। आवेदक द्वारा पुर्व में SSO ID प्रयोग में ली जा रही है वे SSO ID के माध्यम से Log ID कर LSG – E AUCTION ऑप्शन पर क्लिक करके बोली में भाग ले सकते है । वेबसाईट पर रजिस्टर करने सम्बन्धी असुविधा एवं इस सम्बन्ध में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हैल्पडेस्क नम्बर श्री अरुण कुमार मो.9636200146 एवं श्री विपुल कुमार मो. 9784191754 पर सम्पर्क करें।

(गोतमचंद जैन)
सभापति
नगर परिषद् बाड़मेर

(विवेक व्यास RAS)
आयुक्त
नगर परिषद् बाड़मेर

कमांक :एफ–07/राजस्व/2026/8376-8378 दिनांक: 04/11/2026

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सुचना का आगामी अंक में राज्य स्तरीय एवं दैनिक क्षैत्रीय 50000 हजार से अधिक प्रकाशन होने वाली अंक में प्रकाशन कर बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।
2. श्री चन्द्रजीत खत्री, वरिष्ठ सहायक, नगर परिषद, बाडमेर को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त वर्णित सार्वजनिक ई–नीलामी सूचना के 3000 पेम्पलेट, टैक्सी के माध्यम से सूचना प्रसारित एवं नगर परिषद बाडमेर की निर्धारित साईड पर हॉर्डिंग्स/बैनर छपवाकर लगाना इत्यादि कार्य उक्त पत्र प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर करवाना सूनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड नगर परिषद बाडमेर।

आयुक्त
नगर परिषद बाड़मेर